(8)

संख्या– 503 /XXVII(7)/2010

(16)

प्रेषक,

राधा रतूड़ी,
सचिव वित्त,
उत्तराखण्ड शासन।

सेवा में,

निदेशक,
कोषागार एवं वित्त सेवायें सह स्टेट इण्टरनल ऑडिटर,
देहरादून।

वित्त (वे0आ0–सा0नि) अनुभाग–7 देहरादूनः दिनांक 26 मई, 2010

विषयः–अविभाजित उत्तर प्रदेश के पेंशनर्स तथा उत्तर प्रदेश से स्थानान्तरित हुए पेंशनर्स की पेंशन, अन्य सेवानिवृत्तिक लाभ तथा चिकित्सा व्यय प्रतिपूर्ति के भुगतान की प्रकिया का निर्धारण।

महोदय,

उपर्युक्त विषय के सम्बन्ध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि अविभाजित उत्तर प्रदेश राज्य के पेंशनर्स (9–11–2000 के पूर्व) जो उत्तराखण्ड के कोषागारों से पेंशन प्राप्त कर रहे हैं तथा ऐसे पेंशनर्स जिनके प्राधिकार पत्र दिनांक 9-11–2000 के बाद उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा इस राज्य के लिए स्थानान्तरित किये गये हैं की पेंशन, अन्य सेवानिवृत्तिक लाभ तथा चिकित्सा व्यय प्रतिपूर्ति का भुगतान अन्य राज्यों के पेंशनर्स की भांति अन्तर्राज्यीय समायोजन हेतु विहित प्रकिया के अनुसार किया जाये।

भवदीया,

(राधा रतूड़ी)
सचिव वित्त।